बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं0–12/वि0–142/2026– 705 पटना, दिनांक– 11.05.2026

विषयः फर्म आदीयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर, वार्ड सं0–12, रसलपुर दहिया, बेगूसराय, पिनकोड– 851112 Email-adiyogiinfrastructure@gmail.com (सूचीबद्धता सं0–151020240921) के सुपरवाईजर श्री गौरव चौधरी द्वारा लोक स्वा0 प्रमंडल, तेघड़ा अन्तर्गत हर घर नल का जल' निश्चय योजना के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं के निरीक्षण कार्य में विभागीय पदाधिकारी को धमकी दिये जाने एवं निरीक्षण कार्य में बाधा पहुँचाने के लिये क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल तेघड़ा अंतर्गत विभागीय आदेश सं0–14/निरी0–104/2025–04, दिनांक–28.02.2026 के आलोक में श्री ललित कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण योजना प्रमण्डल सं0–7 को योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु नामित किया गया था।

क्षेत्र भ्रमण के दौरान श्री कुमार के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक–05.05.2026 के माध्यम से विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि फर्म के सुपरवाईजर श्री गौरव चौधरी से दूरभाष पर संपर्क करने पर उनके द्वारा असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एवं योजना बंद दिखाये जाने की स्थिति में जान से मारने की धमकी दी गयी, जिससे निरीक्षण कार्य बाधित हुई।

उक्त क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यकारी ऐजेन्सी को इस संबंध में अपने कार्यालय पत्रांक–460, दिनांक–04.05.2026 के माध्यम से आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में फर्म के द्वारा अपने पत्रांक–25–26/055, दिनांक–07.05.2026 के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। कार्यपालक अभियंता के द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–471, दिनांक–11.05.2026 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत फर्म के सूचीबद्धता को काली सूची में दर्ज करने हेतु वरीय पदाधिकारी को अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी।

तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बेगूसराय के द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक–189, दिनांक–11.05.2026 के माध्यम से मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से फर्म को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गयी, जिसे क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र भागलपुर के द्वारा अनुशंसित एवं अग्रसारित की गयी। ऐजेन्सी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना गया एवं अपने प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि फर्म का स्पष्टीकरण विषय वस्तु से ईतर एवं साक्ष्य रहित है।

सहायक अभियंता, श्री ललित कुमार से प्राप्त आवेदन के आलोक में आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक–634, दिनांक–05.05.2026 के माध्यम से फर्म को निदेशित किया गया। परंतु फर्म उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन मे उल्लेखित तथ्यों की सम्यक समीक्षा की गई जिससे यह परिलक्षित हुआ कि फर्म द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण विषय वस्तु से ईतर एवं साक्ष्य रहित है। साथ ही फर्म के द्वारा विभागीय पदाधिकारी के साथ असंसदीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए जान मारने की धमकी दी गयी। इसके अतिरिक्त फर्म के द्वारा विभागीय कार्यों के निरीक्षण में बाधा पहुँचाने की कोशिश की गयी।

Black List Office Order

Scanned with CamScanner

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के कंडिका–11 क (१) "संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार हेतु **फर्म आदीयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर (सूचीबद्धता सं0–151020240921)** को 03 (तीन) वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/- 11.05.2026
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–142/2026– 705 पटना, दिनांक– 11.05.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 11.05.2026
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–142/2026– 705 पटना, दिनांक– 11.05.26

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

ह0/- 11.05.2026
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–142/2026– 705 पटना, दिनांक– 11.05.26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, तेघड़ा/फर्म आदीयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर, वार्ड सं0–12, रसलपुर दहिया, बेगूसराय, पिनकोड–851112 Email-adiyogiinfrastructure@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 11.05.2026
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–142/2026– 705 पटना, दिनांक– 11.05.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 11.05.2026
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Scanned with CamScanner